इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345] भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020—आश्विन 4, शक 1942

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र. 11299-200-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अभय कुमार**, अतिरिक्त सचिव.

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०२०

# मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम , २०२०

**विषय-सूची.**

**धाराएं :**


१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १० का संशोधन.

४. धारा १६ का संशोधन.

५. धारा २९ का संशोधन.

६. धारा ३० का संशोधन.

७. धारा ३१ का संशोधन.

८. धारा ५१ का संशोधन.

९. धारा १२२ का संशोधन.

१०. धारा १३२ का संशोधन.

११. धारा १४० का संशोधन.

१२. धारा १६८क का अंत:स्थापन.

१३. धारा १७२ का संशोधन.

१४. अनुसूची २ का संशोधन.

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०२०

# मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२०

**[ दिनांक २५ सितम्बर, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक २६ सितम्बर, २०२० को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]**

**मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) इस अधिनियम का खण्ड १२, ३१ मार्च २०२० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा;

(ख) अन्य खण्ड ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

**धारा २ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (११४) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ग) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;".

**धारा १० का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द "माल का" के पश्चात् शब्द "या सेवा का" अंत:स्थापित किए जाएं.

**धारा १६ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (४) में, शब्द "से संबंधित बीजक" का लोप किया जाए.

**धारा २९ का संशोधन.**

५. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) कराधेय व्यक्ति धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए दायी नहीं है या धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन किए गए स्वेच्छिक रजिस्ट्रेशन से बाहर आने का आशय रखता हो.".

**धारा ३० का संशोधन.**

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए:—

"परन्तु यह कि ऐसी कालावधि दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारण लेखबद्ध कर बढ़ाई जा सकेगी,—

(क) संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) अतिरिक्त आयुक्त या विशेष आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक, तीस दिन से अनधिक की और कालावधि के लिए.".

**धारा ३१ का संशोधन.**

७. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में,—

(एक) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(दो) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा.

**धारा ५१ का संशोधन.**

८. मूल अधिनियम की धारा ५१ में,—

(क) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(३) स्रोत पर कर कटौत्री का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.";

(ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

**धारा १२२ का संशोधन.**

९. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड (एक), (दो), (सात) या (नौ) के अधीन आने वाले संव्यवहार का लाभ प्रतिधारित करता है और जिसके कारण उस समय जब ऐसा संव्यवहार किया गया, कर अपबंचन अथवा उपभोग किए गए कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा.".

**धारा १३२ का संशोधन.**

१०. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है" के स्थान पर, शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है अथवा कारित करवाता है और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को प्रतिधारित करता है" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है या बिना किसी कर बीजक या बिल के कपट पूर्वक इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;";

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द "कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" का लोप किया जाए.

धारा १४० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा १४० में, निम्नलिखित संशोधन १ जुलाई, २०१७ से प्रभावी हुए समझे जाएंगे,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय के भीतर और" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय के भीतर और" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "नियत दिन को" के पश्चात्, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (५) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात् शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहत किया जाए" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(पांच) उपधारा (६) में, शब्द "नियत दिन को", पश्चात्, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए" अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा १६८क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा १६८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१६८ (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उन कार्रवाइयों के संबंध में जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण पूरी नहीं की जा सकती हैं या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, सरकार इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय सीमा को बढ़ा सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उन अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित होगी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व की नहीं होगी.

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, ज्वालामुखी, भूकंप या अन्य प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित कोई आपदा जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का क्रियान्वयन प्रभावित होता हो.

धारा १७२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १७२ में, उपधारा (१) में, परन्तुक में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची २ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में, पैराग्राफ ४ में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएं जो १ जुलाई २०१७ से प्रभावशील माने जाएंगे,—

(एक) मद (क) में, शब्द "जो विचारणीय है या नहीं" का लोप किया जाए.

(दो) मद (ख) में, शब्द "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या नहीं" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र. 11299-200-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अभय कुमार**, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 19 OF 2020

## THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

TABLE OF CONTENTS

**Sections:**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 10.
4. Amendment of Section 16.
5. Amendment of Section 29.
6. Amendment of Section 30.
7. Amendment of Section 31.
8. Amendment of Section 51.
9. Amendment of Section 122.
10. Amendment of Section 132.
11. Amendment of Section 140.
12. Insertion of Section 168A.
13. Amendment of Section 172.
14. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2020

# THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

**[Received the assent of the Governor on the 25th September, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th September, 2020.**

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy fisrt year of the Republic of India as follows :—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradcsh Goods ans Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided in this Act,—

(a) clause 12 of this Act shall be deemed to have come into force on the 31st March, 2020;

(b) other clauses shall come into force from such a date, as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

**Amendment of Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;".

**Amendment of Section 10.**

3. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods" the words "or services" shall be inserted.

**Amendment of Section 16.**

4. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be omitted.

**Amendment of Section 29.**

5. In Section 29 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or 24 or intends to opt out of the registration valuntarily made under sub-section (3) of Section 25.".

**Amendment of Section 30.**

6. In Section 30 of the principal Act, after sub-section (1), for the full stop colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reason to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Joint Commissioner, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Additional Commissioner or the Special Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).".

**Amendment of Section 31.**

7. In Section 31 of the principal Act, after sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—

(a) Specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which,—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.

**Amendment of Section 51.**

8. In Section 51 of the principal Act,—

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.";

(b) sub-section (4) shall be omitted.

**Amendment of Section 122.**

9. In Section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1A) any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.".

**Amendment of Section 132.**

10. In Section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences" shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any tax invoice or bill;";

(iii) in clause (e), the words, "fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

**Amendment of Section 140.**

11. In Section 140 of the principal Act, the following amendments shall be deemed to have been made with effect from the 1st day of July, 2017,—

(i) in sub-section (1), after the words "under the existing laws", the words "within such time and" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2), after the words "immediately preceding the appointed day", the words "within such time and" shall be inserted;

(iii) in sub-section (3), after the words "on the appointed day", the words "within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(iv) in sub-section (5), after the words "under the existing law,", the words "within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted;

(v) in sub-section (6), after the words "on the appointed day", the words "within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted.

**Insertion of Section 168A.**

12 After Section 168 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

"168-A.(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act, in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

**Explanation.**—For the purpose of this Section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.

**Amendment of Section 172.**

13. In Section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

**Amendment of Schedule II.**

14. In Schedule II of the principal Act, in paragraph 4, the following amendments shall be deemed to have been made with effect from the 1st day of July, 2017,—

(i) in item (a), the words "whether or not for a consideration," shall be omitted.

(ii) in item (b), the words "whether or not for a consideration," shall be omitted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.